तस्करी की गतिविधियां छोड़ देने की शपथ

901. **श्री मीठा लाल पटेल :**
श्री के० मालन्ना:
श्री वी० एम० सुधीरन :
श्री निहार लास्कर :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रमुख तस्करों ने सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नारायण के सामने तस्करी गतिविधियां छोड़ देने की शपथ ली है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है, और नाम क्या हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) देश में तस्करी की गतिविधियों पर इसका समग्र रूप में क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तथा (ख). जी, हां। सरकार को प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 30 अप्रैल, 1977 को बम्बई में 100 तस्करों ने श्री जयप्रकाश नारायण के समक्ष शपथ ली है कि वे तस्करी नहीं करेंगे और अन्य व्यक्तियों को इस प्रकार की गतिविधियां जारी रखने से मना करेंगे और रोकेंगे और सरकार की मदद करेंगे। इस प्रकार के प्रमुख व्यक्तियों में हाजी मस्तान मिर्जा, यूसुफ अब्दुल्ला पटेल, राजा-वली हिरजी मेघानी, इब्राहीम मच्छीवाला, डोंगरी का देवीचन्द, वर्धराज मुनिस्वामी, ललित ठोलकिया, बाबू दूधवाला, यूसुफ सुपारीवाला, मजीद खान देशी (एहाद का) सैय्यद अहमद और सुकर नारायण बखिया शामिल हैं।

(ग) शपथ और सहयोग का प्रस्ताव, जैसा कि ऊपर बताया गया है, सही दिशा में उठाये गये कदम हैं।

(घ) तस्करी पर इस शपथ का समग्र प्रभाव इतनी जल्दी नहीं आंका जा सकता। लेकिन, मामले की समीक्षा की जा रही है।

विभिन्न मंत्रालयों में मितव्ययिता लाने हेतु किये गये उपाय

902. **श्री मीठा लाल पटेल :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में मितव्ययिता लाने हेतु किये गये उपायों के परिणामस्वरूप मंत्रालयों ने अपने खर्चे में कोई मितव्ययिता बरती है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख). इस विषय का सम्बन्ध वित्त मंत्रालय से है। सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदेशों से है। वित्त सचिव के 13-5-77 के अर्द्ध सरकारी पत्र और 27-5-77 के कार्यालय ज्ञापन की प्रतिलिपियां सभा पटल पर रखी गई हैं। [**न्यालय में रखा गया। दखिए संख्या एल०टी० 386ए/77**] इन अनुदेशों की मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार से हैं :—

मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे सरकारी खर्चे में किफायत करने के लिए समीक्षा करें। यह समीक्षा उनके मौजूदा कार्यों, प्रणालियों और

कार्यविधियों की छानबीन करके की जाएगी। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि जो भी आयोग और समितियां स्थापित की गई हैं और जो इस समय विद्यमान हैं उन सभी के बारे में यह देखने के लिए विस्तृत जांच की जाये कि क्या उनसे कोई ऐसा महत्वपूर्ण उपयोगी प्रयोजन सिद्ध हो रहा है जो उनका आगे बने रहना न्यायोचित ठहराता हो। मौजूदा कानूनों की भी इस दृष्टि से समीक्षा की जानी है कि क्या वे अनावश्यक हो गए और उनके प्रशासन के लिए मूलतः भर्ती किये गये कर्मचारियों को वापस किया जा सकता है। किफायत सम्बन्धी अन्य उपायों में नए पदों के बनाए जाने पर और खाली पदों के भरे जाने पर रोक/प्रतिबन्ध कार्यालय खर्चे में कड़ी किफायत, समयोपरि अदायगियों कटौती, टेलीफोनों, बिजली की खपत आदि से सम्बन्धित व्यय पर प्रतिबन्ध आते हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए बीमा योजना

903. **श्री मीठा लाल पटेल :**

श्री के० मालप्पा :

क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हाल में एक बीमा योजना आरम्भ की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) और (ख). एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बीमा योजना

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना को 1-7-1977 से लागू करने का विचार है। यह योजना नियमित संस्थापनों में सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों (कार्यप्रभारित कर्मचारियों सहित) पर लागू होगी। किन्तु यह योजना ठेके पर काम करने वाले कर्मचरियों, राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अन्य स्वायत्त संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्तियों, विदेशों में भारतीय मिशनों में स्थानीय तौर पर भर्ती किये गये कर्मचारियों, नैमित्तिक मजदूरों और अंशकालिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी।

2. इस योजना के अन्तर्गत अंशदान की दरें और लाभ सरकारी कर्मचारियों के योजना के अधीन आने की आयु पर निर्भर करते हैं। ये तीन समूहों में बंटे हैं :--

समूह I

जो कर्मचारी 28 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले इस योजना के अधीन आते हैं, वे इस समूह में शामिल किये जायेंगे। उन्हें 28 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (अर्थात् 28 वर्ष की आयु प्राप्त करने के महीने से पूर्ववर्ती महीने के अन्त तक) प्रति माह 50 पैसे का एक समान अंशदान करना होगा। इस अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने के मामले में उसके द्वारा नामित व्यक्तियों को 5000 - रु० की एक मुश्त राशि की अदायगी की जाएगी। यदि कोई कर्मचारी 28 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले नौकरी छोड़ देता है अथवा उस आयु तक पहुंचने से पहले नौकरी छोड़ने के पश्चात् उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस योजना के अन्तर्गत कोई भी आवधिक लाभ देय नहीं होंगे। 28 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर ये कर्मचारी समूह III के अन्तर्गत आ जायेंगे।